



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या : A-4/E-3/DR(H.C.PA)/2024-25

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा-2025

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	25 दिसम्बर, 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	14 जनवरी, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क— Net Banking/Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	14 जनवरी, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि	::	20 जनवरी, 2026 से 29 जनवरी, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

- उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।
सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 (यथा संशोधित-2024) के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Detail) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
- फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण आदि सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

6.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7.	ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-12 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
9.	I. आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। II. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्नपत्र: प्रायोगिक परीक्षा यथा अंग्रेजी टंकण परीक्षा (अर्हकारी/अनिवार्य प्रकृति) एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, तत्पश्चात् द्वितीय प्रश्नपत्र में सफल अभ्यर्थियों का प्रथम प्रश्नपत्र: सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति) का आयोजन किया जाएगा। III. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। IV. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे के अनुसार प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। V. द्वितीय प्रश्नपत्र: प्रायोगिक परीक्षा यथा अंग्रेजी टंकण परीक्षा (अर्हकारी/अनिवार्य प्रकृति) एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा में अर्ह/सफल अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 (यथा-संशोधित) के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा अथवा अभ्यर्थी द्वारा नियत तिथि पर अभिलेख सत्यापन के समय अनुपस्थित रहने की दशा में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन में वैसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए

	दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण आदि सही पाये जाते हैं, वैसे समस्त अभ्यर्थियों को प्रथम प्रश्नपत्र: सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति) की परीक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जायेगा। VI. अभ्यर्थियों को परीक्षा के विभिन्न चरणों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी0 ही आवेदन पत्र में भरें।
10.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना परिशिष्ट-01 , एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-02 , आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-03 , न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-04 , परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु परिशिष्ट-05 , 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-06 तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-07 , एवं अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट-08 का अवलोकन करें।
11.	प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर चयन परिणाम हेतु विचारित किये जाने के लिये न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
12.	प्रश्नगत पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र : सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) भाषा (लिखित प्रकृति) का आयोजन परिशिष्ट-05 में उल्लिखित परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जायेगा, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र : प्रायोगिक परीक्षा यथा अंग्रेजी टंकण परीक्षा (अर्हकारी/अनिवार्य प्रकृति) तथा अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा का आयोजन ज्ञानोदय लैब, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में किया जायेगा।
13.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के अनुरूप प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
14.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण पत्र वर्ष 2024-25 की आय की गणना के आधार पर वर्ष 2025-26 के लिये आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
15.	रजिस्ट्रार (Inspection) मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या: 7273/UHC/I-(a)-03/Recruitment Cell/2024 दिनांक 06 नवम्बर, 2025 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में वैयक्तिक सहायक पद, दिव्यांगता की उपश्रेणी (a) B, LV, (b) D, HH, (c) OA, OL OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy, (d) ASD(M), SLD, MI, (e) MD involving (a) to (d) above हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
16.	प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रश्नगत परीक्षा में अन्तिम रूप से चयन कर लिया जाता है तथा चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
17.	अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 (यथा संशोधित) के भाग-नौ में उल्लिखित प्रावधानानुसार सम्पादित की जाएगी।

	ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 (यथा संशोधित-2024) जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन कर सकते हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।
18.	मा0 आयोग की निर्णय के अनुपालन में अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिये केवल OA, LV, PB एवं B दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 मिनट की अवधि में 05 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त केवल LV एवं B दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में श्रुतिलेखक की मांग किये जाने पर उन्हें श्रुतिलेखक की सुविधा प्रदान की जायेगी।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में समूह 'ग' के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक के रिक्त कुल 11 पदों पर सीधी भर्ती (परीक्षा माध्यम) द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **द्वितीय प्रश्नपत्र:** प्रायोगिक परीक्षा यथा अंग्रेजी टंकण परीक्षा (अर्हकारी/अनिवार्य प्रकृति) एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा तथा **प्रथम प्रश्नपत्र:** सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति) परीक्षा के सम्बन्ध में सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

02. रिक्तियों का विवरण:- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा-2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 11 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है -

पदनाम - वैयक्तिक सहायक (मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल)

कुल पदों की संख्या - 11

पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उ0 महिला	उत्तराखण्ड के दिव्यांग	उत्तराखण्ड डी0एफ0एफ0	उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वैयक्तिक सहायक	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	00	00
	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	01		00	00	00	00	00
	अनु0 जनजाति	00	00		00	00	00	00	00
	अनुसूचित जाति	03	01		00	00	00	00	01
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	01		00	00	00	00	00
	योग	11	03	00	00	00	00	00	01

नोट:- रजिस्ट्रार (Inspection) मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या: 7273/UHC/I-(a)-03/Recruitment Cell/2024 दिनांक 06 नवम्बर, 2025 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में वैयक्तिक सहायक पद, दिव्यांगता की उपश्रेणी (a) B, LV, (b) D, HH, (c) OA, OL OAL, CP,LC, Dw, AAV, MDy, (d) ASD(M), SLD, MI, (e) MD involving (a) to (d) हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

पदनाम- वैयक्तिक सहायक (मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड)

(i)	पदनाम	वैयक्तिक सहायक
(ii)	विभाग	मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड

(iii)	पदों की संख्या	11
(iv)	वेतनमान	47,600—1,51,100, लेवल—8
(v)	पद का स्वरूप	Non Gazetted/Temporary/Permanent/Convert by Contributory Pension Scheme
(vi)	शैक्षिक अर्हताएं	1. Must possess a Bachelor's degree of a University established by law in India or qualification recognized as equivalent thereto. 2. Must possess good knowledge of English Shorthand and Typewriting with minimum speed of 40 words per minute (corresponding to 12000 key-depressions per hour) in English typing and 100 words in English Shorthand dictation per minute. In case, final marks obtained by 02 or more candidates are equal, preference will be given to those having good knowledge of Hindi shorthand and typewriting with minimum speed of 9000 key-depressions in Hindi type-writing per hour and 80 words in Hindi Shorthand dictation per minute and knowledge of Computer operation.
(vii)	आयु सीमा	न्यूनतम आयु सीमा—21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा—42 वर्ष।

03.	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि	आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 है अर्थात् 01 जुलाई, 2025 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1983 के पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के पश्चात् का नहीं होना चाहिए।
04.	अधिकतम आयु सीमा में छूट	विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। (i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। (ii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। (iii) उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। (iv) अधिसूचना संख्या— 6/1/72 कार्मिक—2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

		नोट— The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct Rules, 1976 (Amended as on 16-01-2024) के नियम-25 में High Court staff को आयुसीमा में छुट के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान है:— Provided further that in case of members of the High Court staff, a relaxation by five years may, in suitable cases, be made by five years may, in suitable cases, be made by the Chief Justice. Provided also that no candidate shall, by virtue of relaxation of age under this rule, have more than three opportunities to appear at the competitive examination or selection.
05.	अनिवार्य/ वांछनीय अर्हता	(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत् है :— शासन की अधिसूचना संख्या-164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे, परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो अजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। (ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। परन्तु शासन के पत्रांक- 1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं सम्मिलित हैं।" ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में

		कार्यरत् हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा। (iii) शासन के पत्रांक-809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार “जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।” नोट- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के प्रस्तर-i, ii, iii में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।
06.	आरक्षण	उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के अनाथ एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों के लिए (केवल ओलम्पिक/विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल/कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप/कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/ अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल/राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक विजेता/प्रतिभाग किये कुशल खिलाड़ी हेतु अनुमन्य) आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0), महिला एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा। आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न

कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-3” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

i. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना संख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा।

पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं0-38(1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित “ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह-ग की उन सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहाँ उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहाँ गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबंधी छूट प्रदान की जायेगी।

ii. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

iii. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

iv. अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये। शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019, दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

v. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्रांक- 415/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर,

		2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। vi. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI (3)/2023/ 72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। vii. उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 208271/XXX(2)/2024-E40510 दिनांक 01 मई, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2024 के प्रस्तर-3 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित कुशल खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक/विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल/कॉमनवेल्थ खेल/ एशियन चैम्पियनशीप/कॉमनवेल्थ चैम्पियनशीप/ अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल/राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक प्राप्त किया हो अथवा प्रतिभाग किया हो वैसे कुशल खिलाड़ी को क्षैतिज आरक्षण का लाभ विज्ञापन में पद होने की दशा में अनुमन्य किया जायेगा। viii. उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम./ तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ix. विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। जो भी पद विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट-6(1), 6(2) में संलग्न है तथा 40 प्रतिशत से कम विकलांगता से संबंधित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट-7(1), 7(2), में संलग्न है।
07.	राष्ट्रीयता	No person shall be appointed to the establishment of High Court of Uttarakhand, unless he/she be a citizen of India.
08.	चरित्र	The character of a person for direct recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respect for appointment to the service. It will be the duty of the appointing authority to satisfy himself on this point.

09.	वैवाहिक प्रास्थिति	A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a person already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the establishment:
10.	शारीरिक स्वस्थता	(1) No Person shall be recruited to the establishment unless he/she/ be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his official duties. Before a candidate recruited directly is finally approved for appointment to the establishment he shall be required to produce a medical certificate of physical fitness. (2) If the post of librarian is filled by direct recruitment the candidate shall before he is finally approved for appointment, be required to pass the examination by the Medical Board as may be prescribed by the appointing authority.
11.	ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online)	
	1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जायें। 2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात ukpsc.net.in पर जाकर Menubar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply पेज पर Advertisement Details, Important Dates एवं Instructions for filling up online application form का अवलोकन करने के पश्चात Apply Now बटन पर क्लिक करें। 3. Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात खुले Registration फॉर्म पर वॉछित, अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Submit पर क्लिक करें। Submit पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Basic Information प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। 4. Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile Number एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के बटन पर क्लिक करें। 5. Login करने के पश्चात Educational Details पेज प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी High School का विवरण भर कर Add Education Details पर क्लिक करें, भरा गया विवरण Add Education Detail के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत Educational विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में Edit/Delete के Icon पर क्लिक कर Edit अथवा Delete किया जा सकता है। इसी प्रकार Intermediate, Graduate व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फार्म पर अन्य विवरण भर कर Continue पर क्लिक करें। उसके पश्चात Photo & Signature to Upload टैब पर Photo, Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo, Signature को reupload करने के लिए I want to upload photo and signature Check box पर क्लिक कर पुन Photo, Signature अपलोड किये जा सकते हैं। 6. Photo, Signature अपलोड होने के पश्चात "I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration पर Tick	

	कर Continue पर क्लिक करें। तत्पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को Back & Edit के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वांछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर Tick करने के पश्चात् Final Button पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। Print Application बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें। 7. Final Submission के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (Application Cancel) करने के लिए Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Submit बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Close की जगह Back बटन पर क्लिक करें। Submit पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि Enter OTP वाली फील्ड्स पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (Application Cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (Cancel Application) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। नोट—(1) Final Submission से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में Back & Edit के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस (Back) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (Technical Issue) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। (2) Final Submission के पश्चात् आवेदन पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। (3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् मोबाइल नम्बर Edit नहीं किया जा सकता है।
12.	ऑनलाइन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया— ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देशः— - ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 05 कार्यदिवस के उपरान्त (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा। - Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी। - जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपनी ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे। - लॉग-इन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे। - अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा। - Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात Edited Data ही अंतिम माना जायेगा। - अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर

	अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।			
13.	शुल्क— शासनादेश संख्या: 2050/11/कार्मिक-2-2002 दिनांक 22 फरवरी, 2002 के आलोक में प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:—			
क्र०सं० (Sr.No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
1	अनारक्षित	रु० 150.00	रु० 16.36	रु० 166.36
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु० 150.00	रु० 16.36	रु० 166.36
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रु० 60.00	रु० 16.36	रु० 76.36
4	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150.00	रु० 16.36	रु० 166.36
5	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु० 16.36	रु० 16.36
6	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट—उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड अधिवासित कुशल खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक/विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल में पदक प्राप्त किया हो अथवा प्रतिभाग किया हो एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1673, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र संख्या 232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिह्नित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु० 16.36 देय होगा।

3. परीक्षा शुल्क जमा किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा आवेदन को निरस्त माना जायेगा।

4. किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।

14. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर मा० आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

2. अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2022 यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

3. परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश-पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
5. यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpine@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
6. वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनाई जायेगी।
7. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड**— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।
 - (क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
 - (ख) किसी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह से दण्ड दिया जायेगा।
 - (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
8. **उत्तर-कुंजी आपत्ति-वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित उत्तर-कुंजी के सम्बन्ध में** अभ्यर्थियों को सूचना पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
9. **प्रथम प्रश्नपत्र:** सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति) का आयोजन हरिद्वार नगर एकल परीक्षा केन्द्र परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जायेगा। **सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) परीक्षा** में बहुविकल्प वाले प्रश्न के लिये **OMR Booklet** तथा **अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति)** के लिये प्रश्न-उत्तर पुस्तिका **Question-Answer Booklet (QAB)** का प्रयोग किया जायेगा। इस पुस्तिका में अंकित प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी को पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही लिखना होगा।
10. यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।
11. अभ्यर्थी प्रश्न-उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा 'कखग' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।
12. प्रश्न-पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल हल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।
13. परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी OMR Answer Sheet एवं प्रश्न-उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न

कर ली जाय। परीक्षा हेतु निर्धारित समय के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।

14. अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न-पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात् प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

15. प्रश्न-उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) में दिये गये निर्धारित स्थान पर ही प्रश्न का उत्तर लिखे। रफ कार्य (Rough Work) के लिए प्रश्न-उत्तर पुस्तिका के अन्त में पृष्ठ दिये गये हैं।

16. उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी— (i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। (ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी। (iii) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) में प्रश्नोत्तर हेतु दिये गये निर्धारित स्थान से अन्यत्र लिखने पर उक्त उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। (iv) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी। (v) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी। (vi) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी। (vii) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में अप्रासंगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी। (viii) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी। (ix) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासंगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी। (x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या 'अबस' एवं पते के स्थान पर ABC या 'कखग' के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी। (xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

17. परीक्षा के विभिन्न चरण में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

18. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा, सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसको अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

19. परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अन्तर्गत 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को नियमानुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। (परिशिष्ट-6)

20. प्रथम प्रश्नपत्र: सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति) परीक्षा (40 अंक का बहुविकल्पिय वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 40 अंक का लिखित/परम्परागत प्रकृति) में अभ्यर्थी

उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा 'कखग' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर लेखन के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।

21. केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

22. न्यूनतम अर्हक अंक:— The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct Rules, 1976 (Amended as on 16.01.2024) as applicable to High Court of Uttarakhand vide Section 30 of U.P. Reorganization Act, 2000'. के Appendix "A" में वर्णित प्राविधान के अनुसार अनारक्षित श्रेणी तथा संबंधित उपश्रेणी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक जबकि आरक्षित श्रेणी तथा संबंधित उपश्रेणी के लिए 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

23. द्वितीय प्रश्नपत्र: प्रायोगिक परीक्षा यथा अंग्रेजी टंकण (अनिवार्य/अर्हकारी प्रकृति) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा में प्रतिभाग किया जायेगा। तत्पश्चात अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा **प्रथम प्रश्नपत्र:** सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति) परीक्षा (40 अंक का बहुविकल्पिय वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 40 अंक का लिखित/परम्परागत प्रकृति) परीक्षा में प्रतिभाग किया जायेगा। अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा (120 अंक) तथा सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति) परीक्षा (40 अंक का बहुविकल्पिय वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 40 अंक का लिखित/परम्परागत प्रकृति) अर्थात् कुल 200 अंकों में से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उनके अंकों की मेरिट के आधार पर, प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से चयनित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

24. प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रवीणता सूची, शैक्षिक अर्हता, आयु, सेवा नियमावली, श्रेणी-उपश्रेणीवार तथा संगत पद हेतु सेवानियमावली में वर्णित प्राविधान के आधार पर किया जायेगा।

25. आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पदों के सापेक्ष दी गयी वरीयता के आधार पर तैयार किया जायेगा।

26. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

27. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।

28. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए था अथवा

वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

29. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

30. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

31. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, आयोग के साथ समस्त पत्राचार एवं परीक्षा से संबंधित सभी चरणों में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

32. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

33. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

34. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पेन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पेन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

35. परीक्षा भवन में आचरण— परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जा सकता है। अभ्यर्थी परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

36. अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित—कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के उत्तर-पत्रकों से न तो नकल करेगा, न ही अपने उत्तर पत्रकों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

37. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

38. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही—अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं

करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

39. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर-पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा
3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा
4. जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा
5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या
7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या
8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा
9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा
10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या
11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा
13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, (यदि कोई हो) आयोग द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

40. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
41. परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना अनुक्रमांक सहित लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश-पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
42. आयोग से किये जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थी अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि जारी किया गया हो) का उल्लेख अवश्य करें।
43. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण-पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
44. प्रश्नगत पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम, संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान करने के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
45. अभ्यर्थी परीक्षा के विभिन्न चरण के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आईडी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उन्हें उक्त आईडी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
46. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग को ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
47. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण (Monitoring) करना सुनिश्चित करें।

-Sd-

(जयवर्धन शर्मा)
प्रभारी सचिव।

परिशिष्ट-1
परीक्षा योजना

Typing Test will be conducted first and the candidates, who will qualify in the Typing test, will only be allowed to appear in the Shorthand test. Candidates qualified in the Shorthand test will be allowed to appear in the written examination. Final merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination (80 Marks) and Shorthand test (120 Marks).

परिशिष्ट-2
पाठ्यक्रम (Syllabus)

पदनाम- वैयक्तिक सहायक (Personal Assistant)

Time: 90 minutes MM: 80

Paper- I-

(A) General Knowledge (Indian History, Knowledge of Uttarakhand, General Science, Constitution of India, Current Affairs)
40 Question (Multiple-choices) of 40 marks.

(B) English Language

- i. Word, Phrases, Synonyms, Antonyms (10 Question of 10 marks)
- ii. Grammar (10 Question of 10 marks)
- iii. Translation from English to Hindi (10 Marks)
- iv. Precis writing in English (10 Marks)

Paper II- Practical

(V) Typing Test (Qualifying)- The candidate must possess minimum speed of 40 words per minute (corresponding to 12000 key-depressions per hour) in English Typing.

Candidates, who will not be able to type 12000 key depression per hour, shall be disqualified.

(VI) Shorthand Test- Candidates qualifying the typing test will have to appear for Shorthand Test at the speed of 100 words per minute in English. Max. Marks 120 Duration of Dictation 07 minutes. Transcription Time: 45 Minutes (This time excludes 10 minutes for reading of notes)

Note:- Mode of Evaluation of Shorthand Test shall be as under:

Evaluation Scheme of Shorthand Test for the post of Personal Assistant.

(1) Full Mistakes:

- i. Omission/addition of any word/figure.
- ii. Substitution of any word/figure in place of dictated word/figure.

Above mistakes are counted as full mistakes and marked by red ink.

(2) Half Mistakes:

- i. Spelling Mistake (spell check facility being available on computers)
- ii. Nos use/wrong use of Full Stop/Question Mark.
- iii. Use of singular instead of plural and vice-versa.
- iv. Wrong use of capital letter at the beginning of a sentence.
- v. Other grammatical mistakes.

Above mistakes are counted as half mistakes and marked by blue ink.

Actual Mistakes= Full Mistakes+1/2 of Half Mistakes.

(3) Formula for awarding marks

- (a) Total Words dictated @100w.p.m.=700 words
- (b) Maximum Marks-120
- (c) Total mistakes admissible/relaxed=Maximum 7% of total dictate words. (7% of 700 words=49 mistakes). For being qualified, the candidate must come within the relaxation limit of 7% mistakes and no marks will be awarded to the candidate, who

commits more than 49 Actual Mistakes.

(d) For one Actual Mistake, 01 mark will be deducted.

(e) Marks obtained by the qualified candidate = Maximum Marks - Actual Mistakes committed.

Example (i) a candidate committing 10 actual Mistakes will get 110 marks {i.e. 120 (maximum marks) - 10 (actual mistakes committed)},

(ii) a candidate committing 0 actual mistakes will get 120 marks i.e. 120 - 0 actual mistakes)

& **(iii)** a candidate committing 30 actual mistakes will get 90 marks (i.e. 120 - 30 actual mistakes).

Note:- In case of incomplete transcription (more than 49 words left), the candidate will be treated as not qualified. Candidate, who commits more than 49 Actual Mistakes, will be treated as 'not qualified'.

In case of use of longhand in place of shorthand, the candidate will be disqualified.

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट-3(1)

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
..... नगर जिला उत्तराखण्ड की जाति के व्यक्ति हैं,
जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति
उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-3(2)

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.
सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिला में सामान्यतया
रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-3(3)

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993
जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या
अविवाहित)/पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

परिशिष्ट-3(4)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64 / XXXVI(3) / 2019 / 19(1) / 2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....

पुत्र / पत्नी / पुत्री.....ग्राम / मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत
सरकार / उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्तर् पिछड़ा वर्ग सूची
में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-3(5)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या-.....तारीख

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार का
हाल का फोटो जो
उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री
.....आयु लिंगपहचान चिन्ह
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डा0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा
अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-4

वैयक्तिक सहायक परीक्षा-2025 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

क्र.सं.	श्रेणी एवं उपश्रेणी	न्यूनतम अर्हकारी अंक
1	समान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40 प्रतिशत
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35 प्रतिशत
3	अनु0जाति/अनु0जनजाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35 प्रतिशत

Note:-In case, two or more candidates secure equal marks, such candidates will be called for Hindi shorthand and type-writing and the candidate who will score better in Hindi shorthand will be given preference.

परिशिष्ट-5

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा-2025

प्रश्नगत परीक्षा केवल हरिद्वार नगर के एकल परीक्षा केन्द्र, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए हरिद्वार नगर का चयन करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	नगर का नाम	नगर/जनपद कोड
1	हरिद्वार	01

नोट- अंग्रेजी टंकण परीक्षा (अनिवार्य/अर्हकारी प्रकृति) तथा अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा का आयोजन ज्ञानोदय कम्प्यूटर लैब, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जायेगा।

परिशिष्ट-06

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में **Benchmark** विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो **Blindness** (अंधता), **locomoter disability (Both arm affected-BA)** (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा **cerebral palsy** (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में कैलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

परिशिष्ट-06 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs (Name of the candidate with disability), a person with (Nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o....., a resident of (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट-06 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(Name of the disability) appearing for the(Name of the examination) bearing Roll No. at (Name of the centre) in the District (Name of the State). My qualification is

I do hereby state that (Name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है—

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist/ Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-7(2)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।
7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20.11.2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

सचिव

परिशिष्ट-07 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs..... (Name of the candidate), s/o /D/o.....a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged.....yrs. a person.....(Nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/PMR specialist	Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-07 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____ a candidate with _____ (Nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (Name of the center) in the District _____, _____ (Name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (Name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट-08

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा-2025

Check List

अनुक्रमांक –
आवेदित पद–

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
06	स्नातक उपाधि*	
07	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र)/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी (यदि लागू हो)	
12	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	
13	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
14	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
15	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आई0डी0।	
16	विज्ञापन के बिन्दु सं0-05 में अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण-पत्र/अभिलेख–	
	1.Is Your Name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State	

Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
5.(ii) Is your spouse or your parent's permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही (ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व 03 वर्ष की अवधि तक) है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2024-2025 की आय गणना के आधार पर वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए।

नोट- अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगे एवं आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने अथवा अभिलेख सत्यापन (Document verification) के समय आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....